2.11.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथी। सं. 1 से 3 के वकील उप0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया, कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 एक ही परिवार से है। प्राथीगण व विप्रार्थी संख्या 2 के सगे भाई है व विप्रार्थी संख्या 3 विप्रार्थी संख्या 1 के व विप्रार्थी संख्या 2

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

91/2020

की पत्नी है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 पूर्व पुरूष ताजाराम वल्द डूंगरा के वारीस है। पक्षकारान की पैतृक पुश्तेनी भूमि कब्जा काश्त की भूमि राजस्व ग्राम जाणियो की ढाणी पटवार क्षेत्र नीम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 121/1 रकबा 3.1551 हैक्टर का आया हुआ है। विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त कब्जा काश्त व संयुक्त खातेदारी की सम्पति है। विवादित आराजी पक्षकारान की पैतुक भूमि खसरा संख्या 120 के सेढा सेढ आई हुई है। लेकिन वक्त बन्दोवस्त के समय विवादित भूमि भूलवंश सेढ़ा पडौसी जीया वल्द अणदा कौम जाट के नाम से दर्ज हो गई। उक्त गलती की जानकारी वक्त बन्दोवस्त के समय नही हो सकी। उसके बाद सेटलमेंट की गलती की जानकारी होने पर तत्कालीन खातेदार जीया वलद अणदा के द्वारा जरीये पंजीबद्ध दस्तावेज के भूमि विप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाई गई। उस समय विप्रार्थी संख्या 1 के पिता ताजाराम के देहान्त हो जाने के कारण व विप्रार्थी संख्या 1 पक्षकारान के परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण भूमि विप्रार्थी संख्या 1 नवला के नाम दर्ज करवाई गई। इस प्रकार प्रार्थीगण के दादा ताजाराम का देहान्त होने पर उक्त भूमि विप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाई गई। विवादित भूमि पैतृक होने के कारण प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 का जन्म से हक व अधिकारी उत्पन्न हो गये। विवादित आराजी के अलावा वक्त बन्दोवस्त के समय खसरा संख्या 1 व 4 78,110,164,178,378 व 120 की पैमाइस पक्षकारान के वालिद ताजा वल्द डुंगरा के नाम से दर्ज हुई। इस कारण विवादित आराजी भी पक्षकारान के वालिद ताजा वल्द डुंगरा के समय की होने के कारण पैतृक भूमि है। ग्राम जाणियो की ढाणी पटवार क्षेत्र नीम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाडमेर खेत खसरा संख्या 121 / 1 रकबा 3.1551 हैक्टर की पैतृक भूमि में विप्रार्थी संख्या 1 के पैतृक हिस्सा में प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 3 बराबर हिस्सा के अधिकारी है विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा हिस्से से ज्यादा भूमि का बैचान विप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में किया गया, जो बैचान पत्र अवैध व शून्य है। कि विवादित आराजी प्रार्थीगण, विप्रार्थी संख्या 2 तथा विप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक भूमि होने के क[illegible] तथा प्रार्थीगण, विप्रार्थी संख्या 2 विप्रार्थी संख्या 1 के [illegible] होने नाते उतराधिकारी अधिनिमय व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थीगण तथा विप्रार्थी संख्या 2 का विवादित आराजी में जन्म से हक अधिकार उत्पन होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण तथा विप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से की भूमि को बैचान व अन्तरण करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नही है क्योकि यदि विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित होने का गलत फायदा उठाकर प्रार्थीगण तथा विप्रार्थी संख्या 2 को उतराधिकार के रूप में मिलने वाली भूमि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

वंचित रखकर समस्त भूमि बैचान व अन्तरण कर दिया गया तो प्रार्थीगण को भूखो मरने की नोबत आ जायेगी क्योकि प्रार्थीगण के पास उनके पुर्वजो की आराजी के अलावा अन्य आय कोई स्त्रोत नही है । विप्रार्थी संख्या 1 वृद्व, लाचार व्यक्ति है जो वृद्व होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ है तथा विप्रार्थीसंख्या 1 को कम सुनाई देता है व कम दिखाई भी देता है विप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान मे विप्रार्थी संख्या 2 के साथ निवास करता है। विवादित भूमि की वर्तमान समय में भूमि की कीमतो में अचानक वृद्धि हो जाने से विप्रार्थी संख्या 1 जिसके नाम की राजस्व रेकर्ड में आराजी दर्ज है, विप्रार्थी संख्या 1 के नाम से खातेदारी दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उनके वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर संयुक्त परिवार की बिना विधिक आवश्यकता के भूमि को अपनी पत्नी विप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में बैचान निष्पादित करवा दिया गया। कि विप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण के पैतृक भूमि का बैचान विप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में कर दिया गया है तथा विप्रार्थी संख्या 3 किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को करने को उतारू है यदि विप्रार्थीगण अपने इस मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि से महरूम हो जायेगे तथा प्रार्थी का उक्त वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाय कि ग्राम जाणियो की ढाणी पटवार क्षेत्र नीम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 121/1 रकबा 3.1551 हैक्टर में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त हस्तक्षेप नहीं करें तथा पैतृक आराजी में किसी प्रकार का हस्तांतरण व अन्तरण रहन नही करे। राजस्व रेकर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमावे।

इसके विपरित विप्रार्थी सं. 1 व 2 के वकील की बहस है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक नहीं रही और न हैं, बल्कि विप्रार्थी सं. 01 द्वारा खसरा सं. 121/1 रकबा 3.1551 हैक्टर जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख की खरीदसुदा सम्पति हैं, पंजीकृत दस्तावेज की वैद्यता या विधि मूल्यता को देखने, जांचने या परखने का अधिकार राजस्व न्यायालय [illegible] नहीं हैं, इस कारण वर्तमान वाद पत्र प्रार्थीगण पंजीकृत [illegible] प्रभावी रहते इस फोरम में चलने योग्य नहीं है पंजीकृत दस्तावेज [illegible] आप में कभी शून्य या अवैध नहीं होता है, अलावा इसके पंजी[illegible] दस्तावेज के बाबत् कोई उजर एतराज करने का अधिकार नहीं हैं, विप्रार्थी सं. 03 बतौर रेकर्डेड खातेदार मौके पर काबिज हैं, सहदायिकी का कब्जा होने के कथन गलत हैं, प्रार्थीगण व विप्रार्थी का संयुक्त परिवार नहीं रहा, और न हैं, विप्रार्थी ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का कोई बेचान नहीं किया और न अपने मालिकाना स्वामित्व की सम्पति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

अलावा किसी भूमि का बेचान ही किया, जब प्रार्थीगण खसरा सं. 121 /1 का रेकर्डेड खातेदार ही नही हैं, तो उसे बंटवाड़ा कराने का अधिकार प्राप्त नहीं हैं। किसी भी रेकर्डेड खातेदार टीनेन्ट को अपनी स्व–अर्जित खरीदसुदा सम्पति का व्ययन करने का अधिकार प्राप्त हैं, प्रार्थीगण का यह कथन गलत हैं, कि राजस्व रेकर्ड में विप्रार्थी सं. 01 का नाम गलत तौर से दर्ज हो, बल्कि विप्रार्थी सं. 01 का नाम बतौर खातेदार रेकर्ड में दर्ज रहा व हैं, प्रार्थीगण का यह कथन गलत हैं, कि विप्रार्थी सं. 02 को भूमि से वंचित रखने के लिए विप्रार्थी सं. 03 को भूमि बेचान की हो, बल्कि सही तौर से भूमि का बेचान विप्रार्थी सं. 01 द्वारा विप्रार्थी सं. 03 को सप्रतिफल पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से किया गया हैं, पंजीकृत दस्तावेज को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा न्याय निर्णित नहीं किया गया हैं, इसलिए वाद पत्र चलने योग्य नहीं हैं, अलावा उसके जो पैतृक सम्पतियां वादग्रस्त भूमि के अलावा थी उसमें प्रार्थीगण को हिस्सा दिया जा चुका हैं, वर्तमान वाद में प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति नहीं हैं । विप्रार्थी सं. 01 के वृद्ध होने या लाचार व्यक्ति होने या उसे कम सुनाई देने, कम दिखाई देने इत्यादि के तथ्य रचे– गढ़े झुठे बनावटी हैं, वर्तमान वाद में प्रश्नगत की गई भूमि विप्रार्थी सं. 01 की स्व–अर्जित खरीदसुदा सम्पति हैं, जिसका उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार विप्रार्थी सं. 01 को था, इस कारण विप्रार्थी सं. 01 द्वारा विप्रार्थी सं. 03 को सप्रतिफल भूमि बेचान की, जिसका प्रतिफल विप्रार्थी सं. 01 ने प्राप्त किया और मौके पर कब्जा विप्रार्थी सं. 03 को संक्रांत किया, इस कारण विप्रार्थी सं. 01 व 03 के मध्य हुए संव्यवहार के सम्बन्ध में प्रार्थीगण को एतराज करने का अधिकार नहीं हैं, विप्रार्थी सं. 01 को क्या जरूरत थी या नहीं इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण को कोई उजर एतराज करने का अधिकार नहीं हैं, जब भूमि में प्रार्थीगण या विप्रार्थी सं. 02 का हक हिस्सा ही नहीं था, तो उसे वंचित रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, पंजीकृत दस्तावेज प्रारंभ से ही शून्य दस्तावेज नहीं होता हैं, पंजीकृत दस्तावेज की वैद्यता को प्रश्नगत करने का प्रार्थीगण को नही हैं, और न पंजीकृत दस्तावेज को राजस्व न्यायालय में चुनौति ही दी जा सकती हैं, इस कारण वाद पत्र अन्तर्गत धारा 207 रा.क[illegible] वर्जित होने से खारिज होने योग्य है, तो [illegible] प्रकरण पोषणीय नहीं रहता हैं । विप्रार्थी सं. 01 [illegible] खसरा सं. 121 [illegible] रकबा 3.1551 हैक्टर का एकल खातेदार था, जिसके द्वारा सप्रतिफल [illegible]जीकृत बेचाननामा के भूमि का बेचान विप्रार्थी सं. 03 को किया, जो मौके पर बतौर खातेदार के हैसियत से काबिज हैं, उक्त भूमि में प्रार्थीगण कोई भी हक, हित एवं अधिकार के लिए घोषणा का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं हैं, प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा या अन्य कोई हिस्सा नहीं रहा और न हैं, विप्रार्थी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

03 काबिज रेकर्डेड खातेदार हैं, जिसको उसके खातेदारी, एकल स्वामित्व मालिकाना की सम्पति का उपयोग उपभोग, विधि में प्रावधित प्रावधानों की परिधि में रहते व्ययन करने का अधिकार प्राप्त हैं, जिसे रोकने के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं हैं इस कारण वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य हैं तों उस पर प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं, जब मूल वाद पत्र ही श्री न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नहीं हैं, पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से विप्रार्थी सं. 01 द्वारा अपनी खरीदसुदा सम्पति विप्रार्थी सं. 03 को सप्रतिफल बेचान की, बेचाननामा को किसी सक्षम फोरम द्वारा न्याय निर्णित नहीं किया गया, पंजीकृत दस्तावेजात के प्रभावी रहते वर्तमान वाद, प्रार्थना पत्र श्री राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नहीं हैं, अलावा इसके वाद पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं, जिसमें उक्त सम्पति पुश्तैनी, पैतृक हक पूर्वाधिकारियों के नाम रहीं हो, प्रार्थीगण ने वाद पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ उक्त सम्पति पर कब्जा रहा हो, का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया हैं, इसलिए वाद पत्र, प्रार्थना पत्र प्राथीगण खारिज होने योग्य हैं, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं, कि काबिज रेकर्डेड खातेदार टीनेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती, प्रार्थीगण ने भूमि पैतृक सम्पति हो, के बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं, जिससे प्रथम दृष्टियां उक्त सम्पति पैतृक साबित होती हैं, दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के कोई आधार प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति, साम्या का पवित्र सिद्धान्त में से एक भी बिन्दु प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित हैं, उस पर आधारित प्रार्थना पत्र पोषणीय ही नहीं हैं, यदि दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं, तो तुलनात्मक असुविधा एवं क्षति विप्रार्थीगण को अधिक होगी, विप्रार्थीनी सं. 03 अपने खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगी । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं, कि जहां तीनों बिन्दु एक साथ पूर्ण नहीं होते हो वहां अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक विधि के परिप्रेक्ष्य में [illegible] एवं अद्यतन किया। जिसके अनुसार पाया गया कि विवादित अ[illegible]ी मौजा जाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 121/1 रकबा 3.1551 हैक्टर भूमि वक्त बंदोबस्त भूलंश सेढ़ा पड़ौसी जीया वल्द अणदा कौम जाट के नाम दर्ज होने से तथा बाद में जीया वल्द अणदा से पुनः पंजीबद्व दस्तावेज के प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज की गई। विप्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष ताजाराम की

औलाद होने से उसके वारिसान द्वारा पुश्तैनी भूमि में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत अपना हक हिस्सा घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया है है। जहां तक विवादित भूमि पैतृक होने अथवा उसे साबित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधि के परिप्रेक्ष्य में निर्णय पारित किया जाना है, परन्तु यदि दौराने विचरण वाद में किसी तीसरे पक्षकार को भूमि का बेचान इत्यादि करने अथवा मूल वाद के निर्णय से पूर्व वर्तमान रेकर्ड में कोई रदोबदल की परिस्थितियां उत्पन्न होती है अथवा मौका पस्थितियों में कोई भिन्नता प्रकट होती है तो ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य कब्जा काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न होने के साथ ही अनावश्यक कानूनी पैचिदगियां बढ़ जायेगी तथा विवाद के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब की प्रबल संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में अदालत मूल वाद के निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि के संबंध में रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये स्थगन के पाबन्द किया जाना उचित समझती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जाकर विप्रार्थी सं. 1 से 3 को जरिये निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी मौजा जाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 121/1 रकबा 3.1551 हैक्टर भूमि के संबंध में किसी प्रकार का बैचान इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested